इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2011—भाद्र 17, शक 1933

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्र. 1149-रास./यू.ए.-5-2011.—मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 51 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा धारा 43(1) (ड) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार किये गये एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित पशु पालन डिप्लोमा प्रवेश विनियम, 2011 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है.

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश विनियम, 2011

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रदेश के 05 पशुपालन महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम :—

1. **संक्षिप्त नाम**.—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन पत्रोपाधि पाठयक्रम प्रवेश नियम, 2011 है.

2. **परिभाषाएं**.—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

2.1 ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009);

2.2 ''प्रदेश तथा फीस विनियामक समिति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा गठित विद्या परिषद्;

2.3 ''उपाबंध'' से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न उपाबंध;

2.4 ''सामान्य प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से पशु पालन पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में गुणानुक्रम आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यार्थियों के गुणानुक्रम के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

2.5 ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

2.6 ''फीस'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन गठित विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस;

2.7 ''संस्था प्रमुख'' से अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख;

2.8 ''अर्हकारी परीक्षा'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यार्थी इन विनियमों में यथाविहित सुसंगत पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

2.9 ''एकल खिड़की प्रणाली'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यार्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

2.10 ''व्यापम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश , भोपाल;

2.11 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई है, किन्तु परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया है.

3. **लागू होना.**—ये नियम मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु अधिसूचित महाविद्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों को लागू होंगे.

4. **प्रवेश नियम.**—वर्ष 2011-12 से एवं आगे के लिये प्रवेश नियम,—

समस्त पशुपालन पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

4.1 विभिन्न पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार स्थानों की संख्या निम्नानुसार होगी (तालिका 1):—

तालिका-1

स. क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	स्थानों की संख्या (3)
1	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	61
2	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू	61
3	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	60
4	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	59
5	प्रस्तावित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, मुरैना	59
	कुल योग . .	300

समस्त पशुपालन पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

4.2 **स्थानों का आवंटन/आरक्षण,**—प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रवर्गों के क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्ररूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (तालिका 2):—

तालिका-2
संस्थावार आरक्षण

स. क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	सामान्य (3)	एस.सी. (4)	एस.टी. (5)	ओ.बी.सी. (6)
1	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	30	10	12	9
2	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू	30	10	12	9
3	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	30	10	12	8
4	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	30	09	12	8
5	प्रस्तावित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, मुरैना	30	09	12	8
	कुल योग . .	150	48	60	42

विभिन्न श्रेणियों की 20 प्रतिशत सीटों में प्रवेश भुगतान फीस (पेमेन्ट सीट) द्वारा किया जायेगा.

4.3 **आरक्षित स्थानों का परिवर्तन.**—

आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न उपलब्ध होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति दूसरे संवर्ग से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी—

4.3.1 अनुसूचित जन जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आरक्षित स्थान के रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से की जावेगी.

4.3.2 अनुसूचित जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से की जा सकेगी.

4.3.3 अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पिछड़ावर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से की जा सकेगी.

4.3.4 उपरोक्तांकित तीनों आरक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों को अनारक्षित संवर्ग में परिवर्तित करते हुए अनारक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से पूर्ति की जा सकेगी.

4.4 **प्रवेश के लिए पात्रता.**—मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार.

4.4.1 **शैक्षणिक अर्हता**:—माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकण्ड्री 10+2 प्रणाली विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/गणित/कृषि) की 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता दी जायेगी.

4.4.2 **प्रवेश हेतु आयु सीमा.**—अभ्यर्थी की आयु सीमा उस वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति में न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होना अनिवार्य है. महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी.

4.5 **प्रवेश की रीति.**—मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल उक्त परीक्षा में अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा.

4.6 **प्रवेश की प्रक्रिया** :—

4.6.1 समस्त पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यलायों/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा व्यापम के माध्यम से संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा.

4.6.2 ऐसे समस्त प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से दिए जाएंगे, सक्षम अधिकारी द्वारा 5 सदस्यों की समिति निम्नानुसार बनाई जायेगी:—

1	अधिष्ठाता संकाय, म. प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	-	अध्यक्ष
2	परीक्षा नियंत्रक, म. प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य
3	शिक्षण निर्देशक, म. प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य
4	अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य-सचिव
5	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य

4.6.3 संस्था का प्रबंधन अधिसूचना/विज्ञापन जारी नहीं करेगा और प्रवेश के लिये पृथक् रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा. तत्संबंध में विश्वविद्यालय विहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा.

4.6.4 यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है या विहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/देगी. तथापि, यदि वह पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर दस्तावेज पेश कर देता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के लिए विचारण में लिया जा सकेगा, ऐसी दशा में, वह उस समय उपलब्ध स्थान तथा संस्था के चयन का हकदार होगा/होगी. यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के अंतिम दिन को भी उपस्थित नहीं होता है, तो यह समझा जाएगा कि वह प्रवेश लेने में इच्छुक नहीं है तथा प्रवेश का अधिकार समपहृत हो जाएगा.

4.65 यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमा तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें. यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा.

4.6.6 कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के दिन किसी संस्था में एक बार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के उसी चरण में परिवर्तन किए जाने हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी.

4.6.7 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिष्ट संस्था में अभ्यार्थी ने एक बार प्रवेश लिया है तो संस्था के अंतरण हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

4.6.8 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) का पश्चात्वती चक्र होता है, तो प्रथम चक्र के दौरान छूट गए अभ्यार्थियों को बुलाया जाएगा तथा रिक्त स्थान होने पर गुणागुण और प्राथमिकता के आधार पर संस्था आवंटित की जाएगी.

4.6.9 सफल अभ्यार्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी. फीस, परामर्श (काउन्सलिंग) अभिकरण में जमा की जाएगी.

4.7 **प्रवेश का रद्द किया जाना:—**

4.7.1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यार्थी के किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यार्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यार्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा.

4.7.2 परामर्श (काउन्सलिंग) के उपरान्त योग्य अभ्यार्थियों को पशुपालन डिप्लोमा में प्रवेश हेतु आवश्यक फीस जमा करना होगी. जमा की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी.

5. **शिक्षण तथा अन्य फीस.**—शिक्षण तथा अन्य फीस का निर्धारण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा.

6. **नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण.**—मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किसी भी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

7. **अधिकारिता.**—किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तक ही सीमित रहेगा.

MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR
ANYMAL HUSBANDRY DIPLOMA ADMISSION REGULATIONS, 2011

In exercise of the powers conferred by the Madhya Pradesh Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya Act, 2009 (No.16 of 2009), Madhya Pradesh Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya here by makes the following rules relating to eligibility of admission in two year's Animal Husbandry Diploma course in 05 Animal Husbandry colleges/training institutes of the State.

1. **Short title.**—These Regulations may be called as Animal Husbandry Diploma course Admission rules, 2011

2. **Difinition.**—In these Rules, unless the context otherwise requres—

2.1 "Act" means the Madhya Pradesh Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009).

2.2 "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the academic Council constituted by the Vishwavidyalaya under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in training institutes of university;

2.3 "Annexure" means Annexure appended to these rules;

2.4 "Common Entrance Test" means an entrance test conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counseling for the purpose of merit based on admission to training institutes of the of university through a single window procedure by the Vishwavidyalaya.

2.5 "Competent Authority" means any authority as authorized by the Vishwavidyalaya in this behalf,

2.6 "Fee" means, constitution of Fees Regulation committee as per provisions of Madhya Pradesh Pushu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Act 2009;

2.7 "Institutional" head means Head of the Institution of college/training institute;

2.8 "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant diploma course as prescribed in these rules;

2.9 "Single window System" means a system by which available seats in all the institutions are offered through common Centralized Counseling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test;

2.10 "Vyapam" means Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh Bhopal;

2.11 The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Applicability**—These rules shall be applicable to notified colleges/institutes of Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya which are conducting Animal Husbandry Diploma course.

4. **Admission Rules** :—Admission rules for year 2011-12 and onwards-

in all veterinary training institions the procedure for admission for admission shall be as under:—

4.1 **Avaliability of Seats**:—Number of seats available in verious diploma training institutions shall be as follows (Table 1):—

TABLE-1

S. No.	Name of Institution	Number of Seats
1	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jabalpur	61
2	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Mhow	61
3	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Rewa	60
4	A. I. Training institute, Bhopal	59
5	Proposed Assitant Veterinary Field officer Training Center, Morena	59
	Grand Total . .	300

4.2 **Allocation/Reservation of seats:**—In every college/training institutions 16%, 20% and 14% seats of total seats shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Casts/Scheduled Tribes and other Backward classes (excluding creamy layer of other Backward classes category) respectively as notified by the State Government in this regard (Table-2) :—

TABLE-2

Institution wise reservation

S. No.	Name of Institution	Gen.	SC	ST	OBC
1.	College of Vety. Sci. and A.H., Jabalpur	30	10	12	9
2.	College of Vety. Sci. and A.H., Mhow	30	10	12	9
3.	College of Vety. Sci. and A.H., Rewa	30	10	12	8
4.	A.I. Training Institute, Bhopal	30	9	12	8
5.	Proposed Assistant Veterinary Field officer Training Center, Morena	30	9	12	8
	Grand Total . .	150	48	60	42

In different categories, 20% seats will be filled up through payment fees

4.3 **Conversion of seats.**—In case, the eligble candidates to the extent of reservations in any category are not available, the vacant seats will be filled by making them available in other categories as given below:—

4.3.1 The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.

4.3.2 The vacant seats of SC category shall be filled up by the eligible ST category candidates.

4.3.3 In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidate.

4.3.4 In case, the eligible candidates are not available in these above three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

4.4 **Eligibility for admission.**—As decided by the Competent Authority of Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya.

4.4.1 **Educational Qualification.**—Must have passed 12th Higher Secondary Examination under 10+2 with science subject (Zoology/Mathematics/ Agriculture) from Madhyamik Shiksha Mandal Madhya Pradesh, Bhopal with minimum 50% marks. Relexaction of 5% marks will be given to the candidates of SC/ST.

4.4.2 **Age limit for admission.**—As on 31st December candidate must have attain the age of 17 years but not more then 28 years. The upper age limit shall be relaxable upto maximum limit of 5 years as prescribed by Government from time to time. If a candidate happens to be a woman, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

4.5 **Manner of Admission.**—Common Entrance Test conducted by Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya through Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal shall prepare merit and waiting list on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test and shall provide to Vishwavidyalaya.

4.6 **Procedure of Admission :—**

4.6.1 The admission into all Animal Husbandry Diploma training college/institutions shall be made through single window system in the order of merit on the basis of ranking in Common Entrance Test conducted by the Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal, Bhopal.

4.6.2 All these admission shall be done through centralized counselling conducted by the Vishwavidyalaya. Five members committee as follows will be constituted by the competent authority.

1.	Dean, Faculty of Vety. Sci. & A.H., Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur.	—	Chairman
2.	Comptroller Examination, Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Jabalpur.	—	Member
3.	Director Instructions, Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Jabalpur.	—	Member
4.	Dean, College of Vety. Sci. & A. H., Jabalpur	—	Member Secretary
5.	Dean, Student Welfare, Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Jabalpur.	—	Member

4.6.3 Management of training Institute shall not issue notification/advertisement and call for application for admission separately or individually. University shall complete all formalities of concerning subject as per norms.

4.6.4 If a candidate fails to present himself/herself for Counselling or fails to produce the relevant certificates in original in prescribed proforma, he/she shall loose his/her chance of selection of Seat and Institution. However, if he/she produces documents at a later stage, the same may be considered

for Counselling in that event, he/she shall be entitled to, select the seat and institution available at that point of time. If a candidate does not turn up even on the last day of Counselling, it shall be deemed that he/she is not interested in taking admission and shall forfeit the right of admission.

4.6.5. If a candidate fails to present himself/herself on the date of Counselling because of serious illness or accident and is admitted in the hospital, then his/her guardian/parents may be permitted to appear in the Counselling on his/her behalf, provided the concerned candidate submits an authority letter to this effect along with a medical certificate issued by the concerned Chief Medical Officer/Civil Surgeon as a proof of illness or hospitalization. If at any stage it is found that the information provided by the candidate was wrong, then the admission is liable to be cancelled.

4.6.6 Once a candidate has taken admission in an institution during the process of Counselling he shall not be permitted to change it in that phase of counselling.

4.6.7 Once a candidate is admitted in a particular institution through Counselling, no transfer of institution shall be permitted.

4.6.8 If there is subsequent round of counselling, the candidates left over during first round shall be called and shall be allotted to Institutions having vacant seats on the basis of merits and priority.

4.6.9 The successful candidates shall have to deposit fees as prescribed by the Vishwavidyalaya at the time of counselling. The fees once deposited will not be refunded at any cost.

4.7 **Cancellation of Admission:—**

4.7.1 If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Competent Authority.

4.7.2 The candidates found eligible after counselling will deposit required fees for taking admission. Fees once deposit will not be refunded back at any cost.

5. **Tuition and other Fees.**—Tuition and other fees shall be as prescribed by the Academic Council of the Vishwavidyalaya.

6. **Modification to rules/procedures.**—The Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya reserves the rights to amend/provision/rules/procedure for admission.

7. **Jurisdiction.**—In case of any dispute, the jurisdiction shall be restricted to the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur only.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.